



प्रस्ताव की प्रति सहित इस निदेशालय को तुरन्त प्रेषित करें।

उक्त सन्दर्भ में इस निदेशालय द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर आपको अधिनियम, 1997 के कार्यान्वयन करने व स्कूल प्रबन्धन द्वारा ली जा रही फीस व फंड का पूर्ण विवरण देने, पाठशाला में पीटीओएओ गठित करने, स्कूल परिसर में कितारें कापियो व बर्दी जुते आदि-आदि न बेचने के सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते रहे हैं। अतः समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा विभाग द्वारा चाही गई सूचना समय पर शिक्षा निदेशालय उच्चतर को प्रेषित करें। उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरुद्ध अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनापति पालन को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश।  
05 दिसम्बर, 2019

पुरठांकन संख्या: सम

दिनांक: षिमला- 171001.

प्रतिलिपि सूचनार्थ आवधिक कारवाई हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेष निजी सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. समस्त उप शिक्षा निदेशक को उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु निजी स्कूलों को आगामी निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
4. अधीक्षक कम्प्यूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश।

Enclst. No. → EDN-UCR-II) Pvt Schools/201920

Office of the,

Dy. Director of Elementary Education

Una, Distt. Una, (H.P.)

Dated:-

The copy of letter is forwarded to all the managing Director of Pvt Schools of Distt. Una and directed hereby to implement all the directions properly.

Deputy Director of Elementary  
Education Una, Distt. Una (H.P.)

